नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 112
दि. 24.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु की धरती से मोदी का चुनावी शंखनाद, डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का तीखा प्रहार

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब इस मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को चेंगलपट्टू की धरती से प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए न केवल आगामी चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बिगुल फूंका, बल्कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री का यह दौरा साफ संकेत देता है कि भाजपा इस बार तमिलनाडु में पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है और चुनाव को केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का रूप देने की तैयारी है। अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करके की और पराक्रम दिवस के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की धरती वीरता, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल रही है और यहां के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के दिलों में राष्ट्रप्रेम बसा हुआ है और यही भावना आने वाले चुनावों में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस भावनात्मक अपील के जरिए उन्होंने जनता को राष्ट्रवाद और गौरव से जोड़ते हुए अपना राजनीतिक संदेश आगे बढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर डीएमके सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है और राज्य में डीएमके सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

मोदी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में रहते हुए लोगों के भरोसे को तोड़ा है और विकास के नाम पर केवल खोखले वादे किए हैं। उन्होंने डीएमके सरकार को 'सीएमसी सरकार' करार देते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध को बढ़ावा देने वाली बन चुकी है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, आज तमिलनाडु का हर नागरिक जानता है कि राज्य में भ्रष्टाचार कहां हो रहा है और सत्ता के संरक्षण में किस तरह से माफिया फल-फूल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि डीएमके को जनता ने दो बार स्पष्ट बहुमत दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने जो भरोसा जताया था, उसे सत्ता के दुरुपयोग और परिवारवाद की राजनीति ने तोड़ दिया। इसी कारण अब लोग डीएमके को हटाने का मन बना चुके हैं और भाजपा-एनडीए को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा तमिलनाडु के लिए किए गए विकास कार्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए रिकॉर्ड स्तर पर धनराशि जारी की है। मोदी के अनुसार, पहले कांग्रेस और डीएमके के शासनकाल में राज्य को बहुत कम संसाधन मिलते थे, जबकि एनडीए सरकार ने करीब तीन लाख करोड़ रुपये सीधे तमिलनाडु के विकास के लिए दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस राशि का बड़ा हिस्सा गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण में खर्च किया गया, जिससे समाज के सबसे कमजोर तबकों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह राज्य भारत की सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ रहा है। तमिल भाषा, साहित्य और परंपराओं ने सदियों से देश को दिशा दी है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की इस गौरवशाली पहचान को और मजबूत करना चाहती है, लेकिन इसके लिए राज्य में ऐसी सरकार जरूरी है जो विकास को प्राथमिकता दे, न कि भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को।

रेलवे विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में तमिलनाडु को रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार राज्य के लिए रेलवे बजट में पिछली डीएमके-कांग्रेस सरकार की तुलना में सात गुना अधिक राशि आवंटित कर रही है। नए रेलवे प्रोजेक्ट्स, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत से राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब 'मेड इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके सरकार पर महिलाओं के प्रति अन्याय और नेपोटिज्म के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के परिवारों को लाभ पहुंचाने की राजनीति ने आम जनता को हाशिये पर धकेल दिया है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्य में ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

45 करोड़ नौकरियां और लाखों कारोबार पर संकट, सरकार मौन क्यों? राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर तीखा सवाल खड़ा किया है। इस बार उनका निशाना अमेरिका की टैरिफ नीतियों के भारत पर पड़ रहे कथित असर और उससे जुड़ी सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार न तो स्थिति की गंभीरता स्वीकार कर रही है और न ही राहत के लिए ठोस कदम उठा रही है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का सीधा असर भारत के निर्यात क्षेत्र पर पड़ा है, खासकर कपड़ा उद्योग पर। उन्होंने लिखा कि अनिश्चितता के इस माहौल में भारतीय निर्यातक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं, ऑर्डर घट रहे हैं और इसका सीधा खामियाजा मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। राहुल का आरोप है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी-रोटी का सवाल है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर

रही है। अपने बयान में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात भारत की "बेहाल अर्थव्यवस्था" की असली तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार बड़े-बड़े दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं और छोटे व मझोले व्यवसाय दबाव में आकर बंद हो रहे हैं। राहुल के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ के चलते वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है, जिसका असर उत्पादन, निवेश और रोजगार तीनों पर साफ दिख रहा है।

राहुल गांधी ने इस पूरे संकट के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा कि इतने बड़े आर्थिक खतरे के बावजूद प्रधानमंत्री ने न तो देश को भरोसे में लिया और न ही टैरिफ को लेकर कोई स्पष्ट बयान दिया। उनके अनुसार, सरकार की यह चुप्पी हालात को और गंभीर बना रही है। राहुल ने कहा कि जब करोड़ों लोगों की नौकरियां और जीवनयापन दांव पर हों, तब नेतृत्व से स्पष्टता और ठोस फैसलों की उम्मीद की जाती है, न कि खामोशी की।

अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने हैशटैग #TINA का इस्तेमाल किया, जिसे "There Is No Alternative" की सोच पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार हर नाकामी पर यही तर्क देती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच्चाई यह है कि समय रहते सही नीतियां अपनाई जातीं तो हालात इतने खराब नहीं होते। राहुल की इस टिप्पणी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केंद्र की आर्थिक नीतियों को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि इस संकट से सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार, कारीगर, किसान और स्वरोजगार करने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कि "45 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में हैं," और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई है। राहुल के मुताबिक, अगर सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसका असर लंबे समय तक देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर पड़ेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा कि आखिर सरकार कब जागेगी और कब लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिया कि सिर्फ बयानबाजी या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाषण देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि घरेलू स्तर पर उद्योगों और श्रमिकों को बचाने के लिए ठोस नीति की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की।

कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह बयान सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ाने की एक और कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक ओर सरकार वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी नीतियों का बचाव करती रही है, वहीं राहुल गांधी इसे नेतृत्व की विफलता और संवेदनहीनता करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर चुनावी मंचों तक और तेज होने की संभावना है, क्योंकि रोजगार और महंगाई जैसे सवाल सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं।

कानून से ऊपर कोई नहीं, महिला अधिकारी से बदसलूकी पर कांग्रेस नेता को हाईकोर्ट की सख्त फटकार

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अहम और दूरगामी संदेश देते हुए महिला नगर आयुक्त से कथित अभद्रता और धमकी के मामले में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा की याचिका खारिज कर दी है। अदालत का यह फैसला केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत देता है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोग या राजनीतिक रसूख रखने वाले नेता भी कानून से ऊपर नहीं हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि अपने कर्तव्य का पालन कर रही किसी महिला लोक सेवक के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या उसे डराने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है और इसकी जांच से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पूरा मामला कन्नड़ फिल्म 'कल्ट' के प्रचार से जुड़ा हुआ है, जो धीरे-धीरे एक प्रशासनिक निर्णय से आगे बढ़कर कानून, सत्ता और मर्यादा के टकराव का प्रतीक बन गया। 13 जनवरी को शिदलगट्टा क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम और उसके आसपास फिल्म के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर बैनर और फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए थे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इन बैनरों के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं पैदा हो गई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त जी. अमृता ने नियमों के तहत इन बैनरों को हटाने के आदेश दिए। यह निर्णय

प्रशासनिक दृष्टि से सामान्य और जनहित से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी फैसले ने विवाद की चिंगारी को हवा दे दी।

आरोप है कि बैनर हटाए जाने से नाराज कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने नगर आयुक्त को फोन कर उनसे अभद्र भाषा में बात की और कथित तौर पर धमकी भी दी। एक महिला अधिकारी के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर प्रशासनिक हलकों में तुरंत गंभीर चिंता जताई गई। नगर आयुक्त की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद राजीव गौड़ा ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई महिला लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हो, तब उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, किसी अधिकारी को डराने या धमकाने का अधिकार नहीं रखता। ऐसे मामलों में जांच को रोकना न्याय के हित में नहीं होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जांच एजेंसियों को अपना काम करने से रोकना या कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करना गलत मिसाल कायम करेगा। न्यायालय का यह रुख उन सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, जहां जनप्रतिनिधि या राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक ओर इसे महिला अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह राजनीति में बढ़ती असहिष्णुता और सत्ता के दुरुपयोग पर भी सवाल खड़े करता है। महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता के मामले देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आते रहे हैं, लेकिन अक्सर राजनीतिक दबाव या लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि कानून के दायरे में सभी समान हैं।

यह मामला यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक निर्णयों पर असहमति जताने का एक लोकतांत्रिक और कानूनी तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति या समूह को किसी आदेश से आपत्ति है, तो उसके लिए न्यायिक या वैधानिक रास्ते खुले होते हैं। लेकिन फोन पर धमकी देना, गाली-गलौज करना या डराने की कोशिश करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह समाज में गलत संदेश भी देता है। अदालत ने अपने आदेश के जरिए इसी बुनियादी सिद्धांत को दोहराया है।

राजीव गौड़ा की याचिका खारिज होने के बाद अब मामले की जांच आगे बढ़ेगी और कानूनी प्रक्रिया अपने तय रास्ते पर चलेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं और कानून किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन फिलहाल, अदालत का यह फैसला महिला अधिकारियों के सम्मान, प्रशासनिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के पक्ष में एक मजबूत बयान के रूप में देखा जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण बनाम बाद की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा बड़ा संवैधानिक सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण और कानून के शासन से जुड़े एक अहम मुद्दे ने एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी, यानी किसी परियोजना के शुरू हो जाने या पूरा हो जाने के बाद दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस याचिका के जरिए उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पर्यावरण कानूनों की मूल भावना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शासन की विश्वसनीयता को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। जयराम रमेश ने अपनी याचिका और सार्वजनिक बयानों में साफ शब्दों में कहा है कि कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी कानून की नजर में न सिर्फ गलत है, बल्कि यह पूरे शासन तंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। उनके अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी का उद्देश्य किसी भी परियोजना के शुरू होने से पहले उसके संभावित प्रभावों का आकलन करना होता है, ताकि प्रकृति, मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता को होने वाले नुकसान को रोका या कम किया जा सके। अगर किसी परियोजना को पहले शुरू कर दिया जाए और बाद में औपचारिकता के तौर पर मंजूरी दे दी जाए, तो यह पूरी प्रक्रिया को ही अर्थहीन बना देता है। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए एक आसान रास्ता बताया है, जो जानबूझकर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हैं और बाद में कानूनी पेंचों का सहारा लेकर बच निकलते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जयराम रमेश ने यह भी उल्लेख किया कि अरावली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख ने उन्हें इस याचिका के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली को फिर से परिभाषित करने के पहले के फैसले की समीक्षा किए जाने से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि अदालत पर्यावरण से जुड़े मामलों में गहराई से विचार करने को तैयार है। इसी क्रम में उन्होंने कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी के मुद्दे को भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना जरूरी समझा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक या दो परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में चल रही सैकड़ों परियोजनाओं और उनके पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा हुआ है।

जयराम रमेश का तर्क है कि काम होने के बाद दी गई पर्यावरणीय मंजूरी न केवल पर्यावरण कानूनों की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। किसी भी औद्योगिक परियोजना, खनन कार्य, सड़क या बांध निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इसलिए किया जाता है ताकि प्रदूषण, जल स्रोतों पर असर, वायु गुणवत्ता, वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। अगर यह अध्ययन ही बाद में किया जाए, तो नुकसान हो चुका होता है और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश की जाती है। उनके अनुसार, ऐसी प्रक्रिया न्यायशास्त्र की बुनियाद के खिलाफ है और यह कानून के शासन को कमजोर करती है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने के लिए कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या शक्तिशाली कारोबारी समूह बिना मंजूरी के परियोजनाएं शुरू करते हैं, तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। ऐसे मामलों में बाद में दी जाने वाली मंजूरी उन्हें गलत काम के लिए एक तरह का वैधानिक संरक्षण प्रदान कर देती है, जो न सिर्फ अन्य कानून का पालन करने वाले पक्षों के साथ अन्याय है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है।

सबरीमाला सोना विवाद में अदालत का बड़ा फैसला पूर्व टीडीबी अधिकारी मुरारी बाबू को मिली जमानत

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोने के नुकसान का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लंबे समय से चल रही जांच, आरोपों की गंभीरता और जांच एजेंसियों की सुस्त रफ्तार के बीच अब अदालत के फैसले ने इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को कानूनी जमानत प्रदान कर दी। यह जमानत सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोने के नुकसान के दो अलग-अलग मामलों में दी गई है, जिससे न सिर्फ जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, बल्कि मंदिर प्रशासन से जुड़े संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की बहस भी तेज हो गई है। अदालत ने जमानत देते हुए इस तथ्य को अहम माना कि मुरारी बाबू की गिरफ्तारी को 90 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद विशेष जांच टीम (एसआईटी) अब तक दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है। कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयसीमा में आरोप पत्र दाखिल न होने की स्थिति में आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिलता है, और इसी आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस निर्णय के साथ ही यह स्पष्ट संकेत भी गया कि गंभीर मामलों में भी जांच में अनावश्यक देरी को न्यायिक प्रणाली स्वीकार नहीं करती।

मुरारी बाबू पर सबरीमाला मंदिर से जुड़े दो संवेदनशील मामलों में आरोप लगाए गए हैं। पहले मामले में वह द्वारपालक, यानी रक्षक देवताओं की मूर्तियों की सोने की प्लेटों से कथित रूप से सोना गायब होने के मामले में दूसरे आरोपी हैं। दूसरे मामले में उन पर श्रीकोविल, यानी मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने के मामले में छठे आरोपी के रूप में आरोप तय किए गए हैं। इन दोनों मामलों ने राज्य में धार्मिक भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है।

फिलहाल मुरारी बाबू तिरुवनंतपुरम की विशेष उप-जेल में बंद थे, लेकिन अदालत के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें शुक्रवार शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामले से आरोप खत्म हो गए हैं। जांच जारी रहेगी और अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ लगे आरोपों की सत्यता की परीक्षा होगी।

इस पूरे मामले की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी, जब मुरारी बाबू को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह हरिपाड में डिप्टी देवस्वोम कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आरोपों के मुताबिक, इस पूरे कथित घोटाले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने द्वारपालक की मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी सोने की परत चढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मुरारी बाबू पर आरोप है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के समक्ष आगे बढ़ाया, जिसके आधार पर उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी प्रक्रिया के दौरान सोने की मात्रा में गड़बड़ी हुई और मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि, मुरारी बाबू की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने केवल प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव को आगे भेजने का काम किया था और किसी भी तरह की वित्तीय या आपराधिक साजिश में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। अब जमानत मिलने के बाद उनके बचाव पक्ष को यह मौका मिलेगा कि वे अदालत में अपनी दलीलों को और मजबूती से पेश कर सकें।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

राज्यपाल और सरकारें टकराव को टालें

भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों व राज्यपालों में टकराव की खबरें दशकों से अखबारों की सुर्खियां बनती रही हैं। जनसरोकारों की रक्षा व राज्य सरकारों की बेलगाम नीतियों पर संतुलन के लिये सृजित यह संवैधानिक पद गाहे-बगाहे विवादों की चपेट में आता रहा है। बहुमत की सरकारों को गिराने के खेल पिछली सदी में भी सुर्खियों में रहे हैं। इस कड़ी में कर्नाटक विधानसभा में घटा ताजा अप्रिय घटनाक्रम भी जुड़ गया। ऐसे में राजभवनों को लोकभवन बनाने को यथार्थ में बदलने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। निस्संदेह, कर्नाटक विधानसभा में जो भी कुछ घटा वह राजभवन व निर्वाचित सरकारों के बीच जारी टकराव का एक निचला स्तर ही कहा जा सकता है। खासकर उन राज्यों में जहां राजग की सरकारें नहीं हैं। दरअसल, विधानसभा में मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ को छोड़कर पारंपरिक संबोधन को केवल कुछ पंक्तियों में सीमित करने के निर्णय के बाद कर्नाटक में एक नया विवाद खड़ा हो गया। जिसका प्रभाव कांग्रेस शासित दक्षिणी राज्य के अलावा भी बहुत दूर तक महसूस किया गया। निर्विवाद रूप से नये साल के पहले सदन की शुरुआत में राज्यपाल का संबोधन एक संवैधानिक परंपरा रही है। यह राज्यपाल के व्यक्तिगत बयान के बजाय राज्य सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का औपचारिक विवरण होता है। लेकिन सत्र की शुरुआत में राज्यपाल थावरचंद गहलोत अपने द्वारा तैयार किया गया संक्षिप्त भाषण देकर सदन से बाहर चले गए। राज्य की कांग्रेस सरकार ने उन पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है यहां यह तल्ख टकराव हाल में तमिलनाडु और केरल विधानसभा में हुए अप्रिय घटनाओं के बाद सामने आया है। विडंबना है कि ऐसी ही असहमतियां, हाल के वर्षों में आम हो चली हैं। जिसे भारत जैसे संघीय लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत कदापि नहीं कहा जा सकता है।

दरअसल, विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों वाली सरकारों के मुखिया आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में राज्यपाल का उपयोग केंद्र सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने वाले साधन के रूप में ही किया जा रहा है। निस्संदेह, राज्यों में राज्यपालों से उम्मीद की जाती है कि वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक निष्पक्ष पुल का दायित्व निभाएं। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी राज्यपाल को मसविदा संबोधन पर आपत्ति उठाने का अधिकार तो होता है, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में संवैधानिक नैतिकता भी अपरिहार्य है। निश्चित रूप से ऐसी किसी भी असहमति को संवाद के माध्यम से हल करने की जरूरत होती है। राज्यपाल और राज्य सरकारों को सदन के भीतर आमने -सामने की भिड़ंत से हर हाल में बचने का प्रयास करना चाहिए। निर्विवाद रूप से किसी भी राज्यपाल और राज्य सरकार का अंतिम लक्ष्य जनता के हितों की रक्षा करना ही होता है। लेकिन किसी भी स्थिति में जब राज्यपाल और राज्य सरकारें विपरीत उद्देश्यों के लिये काम करने लगते हैं, तो शासन की गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। निर्विवाद रूप से यह केवल अहम का टकराव मात्र नहीं है। यह सरोकारों के संघवाद की भी एक परीक्षा है। उल्लेखनीय है कि आजकल केंद्र सरकार राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन बनाने की मुहिम चला रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि राजभवन का संबोधन औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। निस्संदेह लोकतंत्र में राजभवन राजतंत्र का पर्याय होने का आभास देता है। लोकतंत्र में लोकभवन सही मायनों में लोक का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह लोकभवन शब्द तब ही सार्थक हो सकता है जब जनता के हितों को राजनीतिक टकराव से ऊपर रखा जाएगा। निश्चित रूप से सत्ता के दोनों ही केंद्रों को जनादेश का सम्मान ईमानदारी से करना ही चाहिए। यह भारत जैसे संघीय लोकतंत्र के लिये अपरिहार्य शर्त भी है जिसका पालन राज्यपाल व राज्य सरकारों को पूरा करना ही चाहिए।

संपत्ति में हक व स्वावलंबन से महिला सशक्त बने

> जिन राज्यों में महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार दिया जाता है वहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ही है।

वर्ष 2025 में हरियाणा के बढ़े हुए लिंग अनुपात की खबर सुखद है परंतु विवेक इसके टिकाऊपन व इस रास्ते से उत्तरोत्तर सुधार पर भरोसा नहीं कर पा रहा। आर्थिक स्तर पर प्रगतिशील परंतु सामाजिक स्तर पर बीमारू की कैटेगरी में गिने जाने वाले राज्य में जन्म स्तर पर लगभग आधे जिलों में सुधार का होना एक स्वागतयोग्य कदम है। वैसे जिन प्रावधानों पर विशेष ध्यान देकर इस वृद्धि को हासिल किया गया है उनकी प्रवृत्ति अस्थिर होती है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति व सामाजिक मानसिकता में मूलभूत बदलाव की अनुपस्थिति में केवल तकनीकी आदि माध्यमों से हासिल इस बढ़ोतरी के भी कई यक्ष प्रश्न हैं। गर्भवती महिलाओं की निगरानी, एमटीपी किट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों की निगरानी और प्रशासन की तरफ से वीकली मॉनिटरिंग वे मुख्य माध्यम हैं, जिनके आधार पर इस बढ़ोतरी के हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यह बढ़ोतरी अत्यधिक चंचलता लिए हुए नजर आती है। यहां तक कि केवल अफसरशाही के स्तर पर थोड़ा फेरबदल भी इस बढ़ोतरी के लिए चुनौती बन सकता है। दूसरी तरफ गर्भवती महिलाओं की निगरानी को उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन व उनकी शारीरिक आजादी पर अंकुशीकरण की तरह से भी अवश्य ही देखा जाएगा। आशा-वर्करों द्वारा करवाई जा रही गर्भवती महिलाओं की निरंतर निगरानी स्वयं उनके लिए भी भारी जोखिमपूर्ण काम है। आंगनबाड़ी वर्कर भी लिंग अनुपात को लेकर अधिकारियों की तरफ से बढ़े-चढ़े आंकड़े दिखाने का दबाव का जिक्र करती हैं। हकीकत यह भी है कि लिंगानुपात को लेकर सबसे भरोसेमंद आंकड़े तो जनगणना से उभर कर आने वाले ही आंकड़े होते हैं। हरियाणा स्थापना पूर्व से ही इस समस्या से जूझता रहा है। 2001 की जनगणना में हरियाणा लिंगानुपात के हिसाब से सबसे खराब राज्यों में 861:1000 के अनुपात पर था। 2011 में भी यह मामूली सुधार के साथ 879: 1000 के काफी खराब स्तर पर रहा। 2015 में हरियाणा से ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत हुई। लड़कियों व उनके परिजनों को कई तरह से आर्थिक सहयोग की स्कीमें शुरू की गई। प्रचार-प्रसार से राज्य की तमाम एजेंसियों का ध्यान इस ओर खींचा गया। अनेक स्तर पर सरकारी पहल पर आयोजित बड़े-बड़े प्रोग्रामों का स्वयं लेखिका भी हिस्सा रही। फलस्वरूप 2019 में हरियाणा का लिंग अनुपात बढ़ते हुए (एसआरबी) 923 से अधिक दर्ज हुआ। परंतु इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई और 2024 में यह लिंगानुपात घटकर 910 पर आ गया। 2025 में इसके फिर अब तक के अधिकतम स्तर 930:1000 पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जो राष्ट्र स्तर के अनुपात 933 के लगभग आसपास पहुंचा हुआ है। लगता है 2024 के बाद प्रशासनिक स्तर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू करने के प्रयास अभूतपूर्व तरीके से किए गए, जिसमें अकेले 2025 में ही 154 एफआईआर दर्ज की गई। नतीजों के हिसाब से पंचकूला 971, फतेहाबाद 961 व पानीपत 951 पर पहुंचा है। प्रशासन ने गैर-कानूनी तरीके से गर्भपात की दवाइयां बेचने वालों, पड़ोसी राज्यों में जाकर गर्भपात करवाने वालों, अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी तथा गर्भवती महिलाओं की आईडी बनाकर उनकी निगरानी आदि कार्रवाइयां व्यापक पैमाने पर की गई। परंतु समस्या को समूल समझते हुए समग्रता पूर्ण तरीके से उसका निवारण करने की चुनौती दरपेश है।

हमारे समाज में पुत्र लालसा बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। हाल ही में फतेहाबाद व जींद जिला के उदाहरण जहां लड़के के लिए परिवार वालों ने दस-दस लड़कियां पैदा कीं और ग्यारहवीं सन्तान लड़का होने पर उसका नाम 'खुशदिल' रखना इसके ताजा उदाहरण हैं। इसके ठोस कारण भी हैं। मसलन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न होना, जिसकी वजह से उन्हें बोझ व पराया धन समझने की प्रवृत्ति बनती है। पितृ सत्तात्मक समाजों में पुत्र ताकत का प्रतीक है। वंश धारक, मां-बाप को मुखाग्नि देने वाला व बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। लड़कियों की असुरक्षा व दहेज हिंसा आमतौर पर लड़की भ्रूण हत्या के मुख्य कारण उभर कर आते हैं। कुछ तबकों को छोड़कर हमारा समाज न तो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए इसके खिलाफ लड़ता नजर आता है और न ही महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाता है।

इस असहाय समर्पणकारी मानसिकता के खिलाफ सामाजिक सक्रियता को हासिल करने के जनजागरण अभियान चलाने होंगे। दहेज के खिलाफ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम संस्थाओं को संघर्ष करना होगा। शादियों पर खर्च कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। जिम्मेवार पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ महिला यौन हिंसा के आरोप लगने पर सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करवानी होगी। वक्त की मांग है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार व ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना होगा। मगर इस पर राज्य मशीनरी की इच्छा शक्ति की कमी है। जिन राज्यों में महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार दिया जाता है, वहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ही है। हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात में भी लिंग अनुपात बेहतर है।

दूसरी तरफ हरियाणा में महिलाएं शिक्षा, खेल, कला, साहित्य आदि हर जगह जितने मौके मिल रहे हैं उससे अच्छा करके दिखा रही हैं। फिर भी अनचाही बनी हुई हैं। यह जो विरोधाभास है इसे खत्म करने के लिए भी इसी प्रकार संयुक्त रणनीति बनाकर सरकार, प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं को संकल्प के साथ मैदान में उतरना होगा।

प्रेरणा

जहाँ अहंकार टूटे, वहीं गुरु प्रकट होता है

भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह एक ऐसी चेतना है जो शिष्य के भीतर छिपे अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर जमी हुई धारणाओं, अहंकार और अंधविश्वास को तोड़ना होता है। लेकिन यह कार्य उपदेशों से नहीं, अनुभव से होता है। दादू जी से जुड़ी यह कथा इसी अनुभव की कथा है, जो यह सिखाती है कि सच्चा गुरु वही है जो अपने अपमान में भी शिक्षा छिपा दे और सच्चा शिष्य वही है जो अपने ही व्यवहार से स्वयं को पहचान ले।

दो पंडित दादू जी का नाम सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में यह भावना थी कि दादू जी को गुरु बना लेने से उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वे स्वयं को योग्य शिष्य मानते थे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान उनके पास था, समाज में प्रतिष्ठा थी और धार्मिक कर्मकांडों की उन्हें पूरी समझ थी। लेकिन ज्ञान यदि विनम्रता से खाली न हो, तो वह बोझ बन जाता है। यही बोझ उन पंडितों के साथ चल रहा था, जब वे दादू जी की कुटिया की ओर बढ़े।

रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो नंगे सिर जा रहा था। पंडितों की रूढ़ मान्यताओं के अनुसार यह अपशकुन था। उन्होंने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि अपशकुन जैसी कोई अवधारणा मनुष्य के भय से जन्म लेती है, न कि किसी वास्तविक सत्य से। धर्म के नाम पर मन में बैठे डर ने विवेक को दबा दिया और करुणा को समाप्त कर दिया। अपशकुन टालने के नाम पर उन्होंने उस व्यक्ति को दोनों हाथों से थप्पड़ मार दिए। यह क्षण इस बात का प्रतीक था कि जब धर्म से मानवीयता निकल जाती है, तो वह हिंसा का रूप ले लेता है।

जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारे गए, उसने न कोई प्रतिकार किया, न क्रोध दिखाया। उसका मौन असामान्य था। पंडितों ने उससे पूछा कि दादू साहिब का डेरा कहाँ है। उसने शांत भाव से दिशा बता दी। उस क्षण पंडितों को यह अहसास नहीं हुआ कि जिस शांति और सहनशीलता की वे खोज में हैं, वह उनके सामने खड़ी है। उनका मन बाहरी प्रतीकों में उलझा हुआ था, इसलिए वे सत्य को पहचान नहीं पाए।

डेरे पर पहुँचने पर उन्हें पता चला कि दादू जी बाहर गए हुए हैं। वे वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा के समय उनका अहंकार और भी मजबूत होता गया। वे स्वयं को गुरु की परीक्षा लेने वाला समझ रहे थे। लेकिन जीवन का नियम यही है कि जो स्वयं को परीक्षक समझता है, वही सबसे पहले परखा जाता है। कुछ समय बाद जब दादू जी लौटे, तो वह क्षण दोनों पंडितों के लिए भीतर तक हिला देने वाला था।

दादू जी वही व्यक्ति थे, जिसे उन्होंने रास्ते में थप्पड़ मारे थे। वही सरल देह, वही शांत मुख, वही सहज उपस्थिति। यह देखकर दोनों पंडितों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भय, शर्म और पश्चाताप ने उन्हें जकड़ लिया। जिस गुरु को वे परखने आए थे, उसी का अपमान वे पहले ही कर चुके थे। यह क्षण उनके पूरे पांडित्य पर भारी पड़ गया।

लेकिन दादू जी के चेहरे पर न कोई शिकवा था, न कोई क्रोध। उनके चेहरे पर केवल एक सौम्य मुस्कान थी। वह मुस्कान उस ऊँचाई की थी, जहाँ व्यक्ति स्वयं से परे हो जाता है। दादू जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि लोग दो टके की मिट्टी की हंडिया खरीदने से पहले भी उसे टक्कर मारकर देखते हैं, और तुम गुरु धारण करने आए हो, तो खूब परखो, खूब टकोरो, जब दिल माने तभी गुरु स्वीकार करो। इन शब्दों में कोई कटाक्ष नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। इस कथन में गुरुता का गहन दर्शन छिपा है। दादू जी यह नहीं कह रहे थे कि अपमान करना सही है, बल्कि यह कह रहे थे कि गुरु बनने वाला यदि अपमान सह नहीं सकता, तो वह शिष्य के अहंकार को कैसे तोड़ेगा। और शिष्य यदि केवल परंपरा, भय या सामाजिक दबाव में गुरु स्वीकार करता है, तो वह स्वयं अपने विवेक के साथ अन्याय करता है। गुरु और शिष्य का संबंध बाहरी औपचारिकता से नहीं, भीतर की सहमति से बनता है।

इस घटना में सबसे बड़ा परिवर्तन पंडितों के भीतर घटित हुआ। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद उनके भीतर करुणा का अभाव था। वे धर्म को जानते थे, लेकिन धर्म को जीते नहीं थे। दादू जी ने बिना किसी प्रवचन के उन्हें यह सिखा दिया कि सच्चा धर्म वही है, जिसमें मनुष्य पहले मनुष्य बना रहे।

आज के समय में, जब गुरु, साधु और आध्यात्मिकता भी प्रदर्शन का विषय बनती जा रही है, यह कथा हमें भीतर की ओर लौटने का संकेत देती है। सच्चा गुरु वही है जो स्वयं को बड़ा सिद्ध न करे, बल्कि शिष्य को बड़ा बना दे। और सच्चा शिष्य वही है जो प्रश्न पूछने से पहले स्वयं को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करे। दादू जी की गुरुता की महानता इसी में है कि उन्होंने अपने अपमान को भी शिक्षा बना दिया। उन्होंने पंडितों को न दुत्कारा, न अपमानित किया। उन्होंने उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि सच्चा गुरु पहले स्वीकार करता है, फिर सुधारता है। यही स्वीकार्यता शिष्य के भीतर परिवर्तन की भूमि तैयार करती है।

अंततः यह कथा हमें यह समझाती है कि गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। जब अहंकार टूटता है, जब डर छूटता है और जब मन विनम्र होता है, तभी गुरु का साक्षात्कार होता है। दादू जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उस अवस्था का नाम थे, जहाँ मनुष्य अपने अपमान में भी मुस्कुरा सके। यही गुरुता की पराकाष्ठा है और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा।

इतिहास का सबसे लंबा अनुत्तरित प्रश्न नेताजी की मौत

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दरअसल उनकी मृत्यु के संबंध में कई दशकों से यही दावा किया जाता रहा है कि 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो (जापान) जाते समय ताइवान के पास फार्मोसा में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को टोक्यो से ताइपेई के लिए उड़ान भरी थी और जापानी द्वितीय विश्व युद्ध का उनका विमान 18 अगस्त की सुबह ताइपेई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद जापान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि उस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई में विमान दुर्घटना में उनकी मौत की जापान सरकार द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था लेकिन आज भी कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल उनके जीवित होने और गुमनामी में जीवन जीने के दावे किए जाते रहे हैं और इस विषय पर कई बार जांच भी हुई है। हालांकि नेताजी के जीवित होने का दावा करने वाले लोगों ने कई बार अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश किए लेकिन उन सबूतों को प्रायः संदिग्ध माना गया है और कहा जाता रहा है कि उनके जीवित होने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। दरअसल नेताजी का शव कभी नहीं मिला और कुछ अन्य कारणों से भी उनकी मौत के दावों पर आज तक विवाद बरकरार है। उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा पूर्व में कुछ आयोगों का गठन भी किया जा चुका है और कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच भी गठित की गई किन्तु अभी तक रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक में नेताजी के होने संबंधी कई दावे भी पिछले दशकों में पेश हुए किन्तु सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध रही और नेताजी की मौत का रहस्य यथावत बरकरार है। हालांकि जापान सरकार बहुत पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं और भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व सार्वजनिक की गई नेताजी से संबंधित कुछ गोपनीय फाइलों में मिले एक नोट से तो यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ कि 18 अगस्त 1945 को हुई कथित विमान दुर्घटना के बाद भी नेताजी ने तीन बार 26 दिसम्बर 1945, 1 जनवरी 1946 तथा फरवरी 1946 में रेडियो द्वारा राष्ट्र को सम्बोधित किया था। इस खुलासे के बाद से ही नेताजी की मौत का रहस्य और गहरा गया था। नेताजी के जीवित रहने को लेकर किए गए विभिन्न दावों में कहा गया कि वे विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे बल्कि जीवित बच गए थे और उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा गुप्त रूप से बिताया। ऐसे ही दावों में से एक दावा यह भी था कि विमान दुर्घटना में नेताजी को गंभीर रूप से चोटें लगी थी लेकिन वे जीवित बच गए थे और उन्हें एक जापानी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया और बाद में उन्हें सोवियत संघ ले जाया गया, जहां उन्हें एक गुप्त शिविर में रखा गया। एक अन्य दावा यह भी था कि नेताजी ने विमान दुर्घटना में बचने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली थी और एक गुप्त जीवन जीने लगे थे। कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने नेताजी को गुप्त रूप से रहने के दौरान देखा है। हालांकि इन तमाम दावों में से किसी का भी कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला लेकिन इन दावों को लेकर सच्चाई जानने को लेकर लोगों में सदैव उत्सुकता रही है। उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार जांच आयोग भी बैठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जांच आयोग न्यायमूर्ति ताराचंद की अध्यक्षता में 1956 में बैठाया गया था। ताराचंद आयोग ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। आयोग ने कहा था कि नेताजी के जीवित रहने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है लेकिन आयोग के निष्कर्षों को कई लोगों ने चुनौती दी थी, जिनका कहना था कि आयोग ने नेताजी के जीवित रहने के दावों की पर्याप्त जांच नहीं की थी। आज भी दावे के साथ यह कहना मुश्किल है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। हो सकता है कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए हों या यह भी हो सकता है कि वे जीवित बच गए हों और उन्होंने अपना जीवन गुप्त रूप से बिताया हो। कुल मिलाकर, उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है।

अभियान

सरस्वती की वीणा से कवि-हृदय तक: बसंत पंचमी का भक्ति-साहित्यिक प्रवाह

भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में बसंत पंचमी केवल एक तिथि या ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह चेतना के जागरण का उत्सव है। यह वह क्षण है जब प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर एक ही लय में धड़कते प्रतीत होते हैं। माघ की ठिठुरन के बाद जब धरती पीताम्बर ओढ़ लेती है, जब सरसों के खेत किसी यज्ञ वेदी की तरह चमक उठते हैं, जब आम्र-मंजरियों से गंध नहीं, मानो मंत्र फूटने लगते हैं, तब बसंत पंचमी आती है—माँ सरस्वती के चरणों में ज्ञान, भक्ति और सृजन का दीप जलाकर। भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो बसंत पंचमी आत्मा का उत्सव है, जहाँ जड़ता टूटती है और भीतर का मंदिर आलोकित होता है।

प्राचीन काल से ही बसंत को ऋतुराज कहा गया है, क्योंकि यह केवल प्रकृति को नहीं, मनुष्य के अंतःकरण को भी नवजीवन देता है। संस्कृत साहित्य में यह भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रकट होता है। महाकवि कालिदास के लिए बसंत केवल श्रृंगार का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि के सौंदर्य में निहित ईश्वरीय रस का अनुभव है। ऋतुसंहार में उनका बसंत किसी सांसारिक उल्लास से आगे बढ़कर उस दिव्यता को छूता है, जहाँ पुष्प, पवन और पक्षी सब ईश्वर की स्तुति करते प्रतीत होते हैं। कोकिल की कूक केवल प्रेमियों को नहीं बुलाती, वह चेतना को जगा रही होती है। सुगंधित पवन केवल शरीर को नहीं छूता, वह आत्मा को सहलाता है। कालिदास का बसंत भक्ति की उस भूमि को तैयार करता है, जहाँ मनुष्य प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करता है।

यही भाव आगे चलकर जयदेव के गीतगोविंद में और गाढ़ा हो जाता है। जयदेव के लिए बसंत पंचमी राधा-कृष्ण के दिव्य मिलन की ऋतु है। यहाँ श्रृंगार सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हो जाता है। कुंजों में गूंजती कोकिल, मलय पवन की मादकता और फूलों की कोमलता—सब मिलकर भक्त के हृदय में कृष्ण-भक्ति का रस भर देते हैं। जयदेव का बसंत यह सिखाता है कि प्रेम यदि ईश्वर से जुड़ जाए, तो वह भक्ति बन जाता है। बसंत पंचमी यहाँ ज्ञान की देवी के साथ-साथ प्रेम के देवता की भी ऋतु बन जाती है, जहाँ काम भी कंचन हो जाता है।

भक्ति काल में आते-आते बसंत का स्वर और अधिक आत्मीय हो जाता है। सूरदास जैसे संत कवि इसे कृष्ण की बाल लीलाओं और रास उत्सव से जोड़ते हैं। यमुना तट, वृंदावन की गलियाँ, कुंज और गोपियाँ—सब बसंत में जैसे सजीव हो उठते हैं। सूर का बसंत पंचमी का अनुभव केवल देखने का नहीं, डूब जाने का है। कोकिल की कुहूँ यहाँ ऋतु का संकेत नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में उठती पुकार है—"हे गोविंद, तू आ गया है।" इस काल में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह कृष्ण भक्ति का रंग भी ओढ़ लेती है। ज्ञान और प्रेम यहाँ अलग नहीं रहते, दोनों एक ही स्रोत से बहते हैं।

मध्यकाल में जब भक्ति और सूफी परंपराएँ एक-दूसरे से संवाद करती हैं, तब बसंत पंचमी सांस्कृतिक समन्वय का पर्व बन जाती है। अमीर खुसरो के यहाँ बसंत केवल ऋतु नहीं, आध्यात्मिक उल्लास है। निजामुद्दीन औलिया के शोक को हरने वाला बसंत गीत केवल मनोरंजन नहीं, भक्ति का माध्यम है। पीले वस्त्र, सरसों के फूल और गीत—ये सब ईश्वर के प्रति समर्पण के प्रतीक बन जाते हैं। खुसरो का बसंत बताता है कि भक्ति की भाषा एक होती है, चाहे वह मंदिर में गाई जाए या दरगाह में। बसंत पंचमी यहाँ मनुष्यता की एकता का उत्सव बन जाती है, जहाँ रंग, धर्म और भाषा की सीमाएँ घुल जाती हैं।

आधुनिक हिंदी साहित्य में भक्ति का स्वर बदलता जरूर है, लेकिन समाप्त नहीं होता। सुमित्रानंदन पंत के यहाँ बसंत किसी देवी की तरह आता है, जो धरती के कंठ से पीड़ा का भार उतार देती है। उनका बसंत प्रकृति की पूजा है, जहाँ हर पत्ता, हर कली, हर किरण किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती है। यह भक्ति मूर्ति की नहीं, सृष्टि की है। पंत का कवि हृदय बसंत पंचमी को एक ऐसी बेला मानता है, जब मनुष्य फिर से निर्दोष हो सकता है।

नागार्जुन के यहाँ बसंत पंचमी ग्रामीण जीवन की धड़कन बन जाती है। आम की मंजरियाँ, खेतों की हरियाली, हवा की सरसराहट—सब मिलकर जीवन के प्रति श्रद्धा जगाते हैं। उनकी कविता में भक्ति किसी देवता की नहीं, जीवन की है। यह भी एक प्रकार की भक्ति है, जहाँ श्रम, धरती और प्रकृति को प्रणाम किया जाता है। बसंत यहाँ किसान के चेहरे की मुस्कान बन जाता है।

केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा तो जैसे स्वयं चेतना बनकर बोलती है। वह निडर है, स्वच्छंद है, बंधनों को नहीं मानती। यह हवा भक्त की तरह है, जो सामाजिक डर और जड़ताओं से मुक्त होकर सत्य की ओर बहती है। यह भक्ति निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है। यह जीवन को हिला देती है, जैसे सच्ची साधना मनुष्य को बदल देती है।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के यहाँ बसंत पंचमी एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेती है, क्योंकि उनका जन्म ही इसी दिन हुआ। निराला का बसंत केवल कोमल नहीं, क्रांतिकारी भी है। उनके लिए बसंत नवसृजन की देवी है, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नए जीवन का आह्वान करती है। उनकी कविता में बसंत किसी शांत सरस्वती की तरह नहीं, बल्कि जाग्रत शक्ति की तरह आता है। यह भक्ति निष्क्रिय श्रद्धा की नहीं, जागरण की है। निराला का भक्त समाज को झकझोरता है, क्योंकि उसके भीतर सरस्वती की वीणा के साथ शक्ति का शंखनाद भी गूंजता है।

इस प्रकार कालिदास से निराला तक बसंत पंचमी भारतीय साहित्य में केवल ऋतु का वर्णन नहीं, बल्कि भक्ति की निरंतर यात्रा है। यह भक्ति कभी श्रृंगार के माध्यम से प्रकट होती है, कभी कृष्ण प्रेम में, कभी सूफी समन्वय में, कभी प्रकृति आराधना में और कभी नवजागरण में। बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही सर्दी क्यों न हो, अंततः चेतना का बसंत अवश्य आता है। यह पर्व ज्ञान की देवी के साथ-साथ आशा की देवी भी है।

आज जब हम बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं या सरसों के खेतों को निहारते हैं, तब हम अनजाने ही इस पूरी साहित्यिक और भक्ति परंपरा से जुड़ जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सृजन, प्रेम और ज्ञान एक ही स्रोत से निकलते हैं। बसंत पंचमी भारतीय साहित्य की आत्मा है, क्योंकि यह हमें भीतर से जाग्रत करती है। भक्ति के मार्ग से होकर जब साहित्य बहता है, तब वह केवल पढ़ने का विषय नहीं रहता, वह जीने की प्रेरणा बन जाता है। यही बसंत पंचमी की शाश्वत महिमा है, यही इसकी भक्ति-सुगंध है, जो सदियों से कवि-हृदय और साधक-मन को सुवासित करती चली आ रही है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अडालज में आयोजित विशाल समैया महोत्सव में शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उपस्थित रहे : शिक्षापत्री के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया

▶▶ आंतरिक अनुशासन, इनर पीस एवं नैतिक आधार के बिना विकास टिक नहीं सकता : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ आध्यात्मिक ग्रंथ, पुराण, कथाएं तथा पूजनीय संतों के वचनामृत, धर्म परंपरा हमारी भव्य विरासत हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को विक्रम संवत 1882 की वसंत पंचमी के दिन वडताल की पवित्र भूमि पर भगवान स्वामीनारायण द्वारा रचित शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के समैया के उत्सव अवसर पर अडालज में उपस्थित रहे।

इस समैया महोत्सव में सहभागी होकर उन्होंने शिक्षापत्री और भगवान स्वामीनारायण के दर्शन एवं अर्चना कर धन्यता का अनुभव किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत पंचमी अर्थात ज्ञान, साधना, शिक्षण की आराध्य देवी माता सरस्वती की वंदना का दिन है और जोड़ा कि भगवान स्वामीनारायण ने भी समाज को 'शिक्षापत्री' के माध्यम से अनुशासन, संयम, सदाचार और समरसता की ओर ले जाने वाली विचारधारा का शिक्षण देने का युगांतकारी कार्य किया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि शिक्षापत्री ने धर्म को केवल उपासना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में समरसता, एकता और बंधुता से भी जोड़ा है। विश्वनेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का जो मंत्र दिया है, उसे शिक्षापत्री समैया उत्सव साकार करता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस उत्सव में सहभागी होकर संतों के आशीर्वाद तथा आप सभी हरि भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ, मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आध्यात्मिक ग्रंथ, पुराण, कथाएं और संतों के वचनामृत, धर्म परंपरा हमारी भव्य विरासत हैं।

शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह समैया महायज्ञ, वेदपाठ के पठन और अखंड धुन से इस आध्यात्मिक विरासत को व्यापक बनाने का अर्थपूर्ण माध्यम है।

साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब द्वारा दिए गए 'विरासत भी, विकास भी' के लक्ष्य को साकार करने वाला यह प्रसंग भी है। इस उत्सव में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एआई का उपयोग कर लोग शिक्षापत्री के संदेशों को देख एवं समझ सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने समैया के ऑडिटोरियम के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग तथा इस स्थल पर प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग कर समैया को गो ग्रीन इको सिस्टम के अनुरूप बनाए जाने के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि आज का समय तेज विकास, टेक्नॉलोजी और भौतिक सुविधाओं का युग है, लेकिन एक बात सभी को स्वीकार करनी होगी कि आंतरिक अनुशासन, इनर पीस और नैतिक आधार के बिना विकास टिक नहीं सकता। स्वामीनारायण भगवान द्वारा रचित शिक्षापत्री हमें आध्यात्मिक मूल्यों को व्यावहारिक जीवन में उतारकर संतुलन बनाए रखने का राजमार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्य, व्यसन मुक्ति, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिकता; ये सभी मूल्य शिक्षापत्री के 200 वर्ष बाद भी आज उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्त भारत की संकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समग्र संप्रदाय भगवान स्वामीनारायण द्वारा शिक्षापत्री में दिया गया व्यसन मुक्ति का संदेश घर-घर तक पहुंचाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री की रचना कर लोकसेवा का जो मार्ग दिखाया, वह सभी को सदाचारी जीवन जीने का सरल रास्ता बताता है। मुख्यमंत्री ने स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में कहा कि गुजरात की धरती पर स्वामीनारायण परंपरा ने समाज सुधार व समाज शिक्षण का जो कार्य किया है, वह शिक्षापत्री के विचार का वास्तविक जीवंत स्वरूप है। राष्ट्रहित सर्वोपरि और समाज के कल्याण की भावना; यही स्वामीनारायण के हरिभक्तों की पहचान है। इस संप्रदाय द्वारा घर एवं सभा में सदाचार के पाठ के माध्यम से पारिवारिक प्रबोधन का जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, वह विकसित भारत के निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के लिए जनहित के 9 संकल्प दिए हैं

पहला संकल्प – जल बचाओ,
दूसरा संकल्प – एक पेड़ मां के नाम,
तीसरा संकल्प – स्वच्छता,
चौथा संकल्प – वोकल फॉर लोकल,
पांचवां संकल्प – देश दर्शन,
छठा संकल्प – प्राकृतिक खेती,
सातवां संकल्प – स्वस्थ और आरोग्यपूर्ण जीवनशैली,
आठवां संकल्प – योग और खेल-कूद को जीवन का हिस्सा बनाना,
नौवां संकल्प – गरीबों की सहायता।

इन संकल्पों का विस्तार से विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वामीनारायण संप्रदाय की सत्संग सभाओं में इन नौ संकल्पों के प्रति जन जागृति फैलाने की अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को विकसित गुजरात के माध्यम से गति प्रदान करने में सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान स्वामीनारायण से की।

समैया महोत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो संदेश का प्रसारण कर सभी हरि भक्तों को शुभकामनाएं दी गईं।

महोत्सव के अवसर पर कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य महाराज श्री कौशल्य प्रसादजी तथा श्री राजेंद्र प्रसाद (लालजी) महाराज ने शिक्षापत्री और उसके मूल्यों, गृहस्थ, संत और समाज के लिए आदर्श स्थिति के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षापत्री के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरिभक्तों से अपील की।

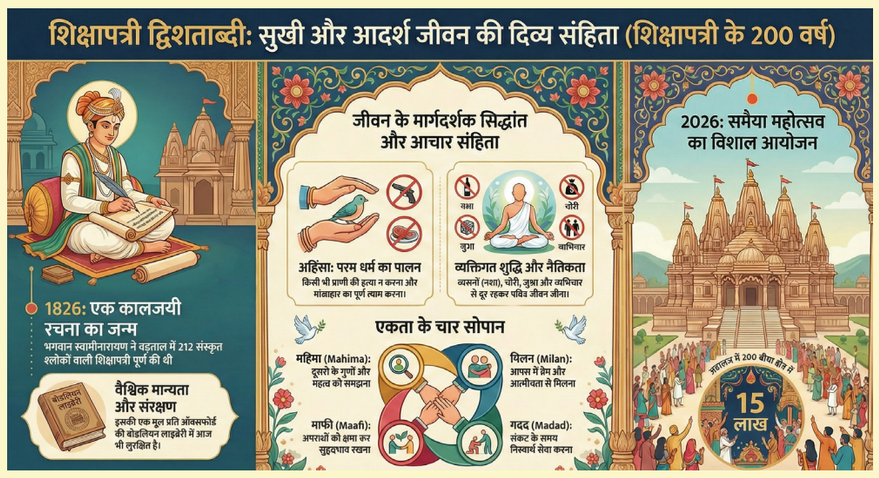

राजस्थान में लिव-इन विवाद से उठा समाज और कानून का टकराव, परिवार पर 31 लाख का जुर्माना और बहिष्कार ने मचाई सनसनी

(जीएनएस)। जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में हाल ही में एक लिव-इन रिलेशनशिप का मामला गंभीर सामाजिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। यह घटना न सिर्फ स्थानीय समाज में चर्चा का विषय बनी है बल्कि पूरे राजस्थान में सामाजिक रीति-रिवाज और कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस छेड़ने वाली साबित हो रही है। मामला तब सामने आया जब एक युवक ने अपनी साथी के साथ आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया। इस संबंध में 26 अगस्त, 2025 को दोनों ने लिखित इकरारनामा भी बनाया, लेकिन समाज के कुछ सदस्यों ने इसे अपनी परंपरा और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ मानते हुए विरोध शुरू कर दिया।

समाज की कठोर प्रतिक्रिया और जुर्माना

पीड़ित परिवार के अनुसार, माली समाज के कथित सात पंचों ने उनके साले पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया और साथ ही उनकी मदद करने वाले साडू पांचाराम माली का हुक्का-पानी बंद कर समाज से बहिष्कृत कर दिया। आरोप है कि पंचायत ने यह भी तय किया कि यदि परिवार समाज में वापस शामिल होना चाहता है तो उसे 11 लाख रुपये देने होंगे। इस फैसले ने समाज और कानून के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी।

हाईकोर्ट की सुरक्षा और पुलिस अधीन कार्रवाई

बाबूलाल माली ने बताया कि उनके परिवार और उनके साले को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों पक्षों ने जोधपुर हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा और संरक्षण के निर्देश दिए। बावजूद इसके, भीनमाल के समाज ने अपनी पंचायत बुलाकर कठोर निर्णय सुनाए, जिससे परिवार पर लगातार दबाव और डर का माहौल बना।

अपराध और सामाजिक दबाव का विरोध

9 जनवरी को पीड़ितों ने भीनमाल थाने में सात कथित पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि इसके बाद 20 जनवरी को जो लोग बयान देने आए, उन पर दोबारा भारी जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई। लगातार प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर बाबूलाल माली और पांचाराम माली अपने रिश्तेदारों के साथ जालोर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के समक्ष पेश हुए। उन्होंने निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और अपने जान-माल की सुरक्षा की मांग की।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

भीनमाल थाने के पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। यह मामला समाज की पारंपरिक संरचना और कानूनी अधिकारों के बीच टकराव को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज के लिए बड़ी चुनौती होती है।

सामाजिक और कानूनी बहस

इस घटना ने राजस्थान के माली समाज और अन्य समुदायों में लिव-इन रिलेशनशिप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारंपरिक रीति-रिवाज के बीच की जटिलता को सामने ला दिया है। जहां एक ओर समाज की पुरानी रीति-रिवाजों का पालन करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी संरक्षण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राजस्थान के भीनमाल में यह मामला सामाजिक, कानूनी और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। 31 लाख रुपये का जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार और धमकियों ने न केवल पीड़ित परिवार को परेशान किया बल्कि पूरे इलाके में सामाजिक असंतोष भी बढ़ाया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक समाज और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। अब प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करें।

जेल में बंद दो हत्यारे एक-दूसरे के प्यार में बंधे, हाईकोर्ट के निर्देश पर पैरोल पर शादी ने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया

(जीएनएस)। अलवर जिले के बड़ौदा मेव कस्बे ने 23 जनवरी को एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। यहां के होली चौक मोहल्ले में उम्र कैद की सजा काट रही प्रिया सेठ और जयपुर की ओपन जेल में बंद हनुमान प्रसाद ने हाईकोर्ट की अनुमति से पैरोल पर रहते हुए विवाह कर लिया। यह शादी न सिर्फ इसलिए चर्चा में आई क्योंकि दोनों ही हत्या के गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं, बल्कि उनके आपराधिक और व्यक्तिगत जीवन की पूरी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया। शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। प्रिया सेठ की कहानी समाज और न्याय के दृष्टिकोण से बेहद चौंकाने वाली है। पाली जिले की रहने वाली 33 साल की प्रिया पढ़ाई में होशियार थी और एक शिक्षित परिवार से आती थी। उसके दादा प्रिंसिपल थे, पिता कॉलेज लेक्चरर और मां सरकारी स्कूल में टीचर। प्रारंभिक शिक्षा और दसवीं-बारहवीं में अच्छे अंक लाने के बाद माता-पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेजा। लेकिन वहां वह गलत संगत में पड़ गई और महंगे शौक पूरे करने के लिए युवकों को अपने जाल में फंसाने लगी। 2018 में प्रिया सेठ की योजना बेहद सटीक और निर्दयी थी। उसने अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा के कर्ज उतारने के लिए झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा को डेटिंग एप पर अपने जाल में फंसाया। प्रिया ने दुष्यंत को 2 मई 2018 को मिलने बुलाया और फिर अपने बजाज नगर स्थित फ्लैट पर ले गई। फ्लैट में पहले से उसका प्रेमी दीक्षांत और सहयोगी लक्ष्य वालिया मौजूद थे। तीनों ने मिलकर दुष्यंत को बंधक बनाया और उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। पिता ने 3 लाख रुपये उसके खाते में जमा करवा दिए। लेकिन जब दुष्यंत को छोड़ने का डर हुआ, तो तीनों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी पहचान छिपाने के लिए दुष्यंत के चेहरे को क्षत-विक्षत किया और शव को एक सूटकेस में बंद करके आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने 4 मई 2018 को प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की कोर्ट ने 24 मई 2024 को इन सभी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले ने पूरे राजस्थान में तबाही मचा दी थी, खासकर यह देखकर कि प्रिया जैसे पढ़ी-लिखी और शिक्षित परिवार की लड़की किस तरह अपराध की राह पर चली गई।

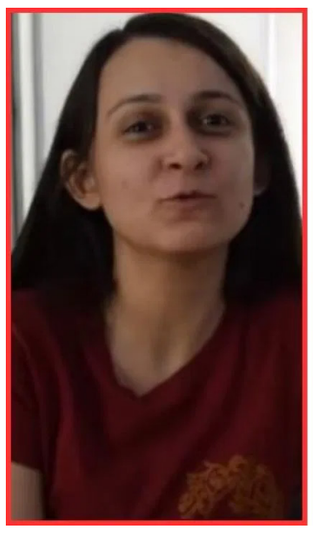

वहीं, हनुमान प्रसाद का मामला भी किसी से कम नहीं है। 32 वर्षीय हनुमान प्रसाद ने 2 अक्टूबर 2017 को बड़ौदा मेव में ताइक्वांडो प्लेयर संतोष शर्मा के पति बनवारी लाल और उनके चार बच्चों की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हनुमान ट्रेन से उदयपुर भाग गया, लेकिन दो दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह सामने आया कि हत्या का मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था बल्कि प्रेम और आपसी समझ के कारण दोनों का आपराधिक कदम था। हनुमान और संतोष के बीच गहरा संबंध था, और दोनों ने हत्या के बाद भी अपने प्रेम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी।

जेल में रहते हुए प्रिया और हनुमान की मुलाकात हुई। जयपुर की ओपन जेल में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। छह महीने की मुलाकात और बातचीत के बाद प्रेम संबंध मजबूत हुआ। हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद दोनों ने 23 जनवरी को विवाह का फैसला किया और इसे अपने परिवार और जेल प्रशासन की निगरानी में संपन्न कराया। यह शादी पूरी प्रक्रिया में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी।

इस विवाह ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। जहां एक तरफ लोग इस अनोखी और विवादित प्रेम कहानी को हैरानी से देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह घटना समाज और कानून के नजरिए से कई सवाल भी खड़े कर रही है। जेल में बंद हत्यारे का विवाह और जेल रोमांस की कहानी ने यह दिखा दिया कि अपराध और प्रेम का जुड़ाव समाज और कानूनी व्यवस्थाओं के सामने नई चुनौती पैदा कर सकता है।

शादी के समय दोनों के परिवार और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और कानूनी नियमों का पूरा ध्यान रखा। शादी समारोह में दोनों ने अपने परिवार और निकटतम मित्रों के साथ मिलकर विधिक और सामाजिक प्रक्रिया का पालन किया। प्रिया और हनुमान की यह शादी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस घटना ने यह भी उजागर किया कि जेल में कैदियों के जीवन में भी मानवीय भावनाएं विकसित होती हैं। जब न्यायालय की अनुमति मिलती है, तो यह भावनात्मक और सामाजिक रूप से जटिल मुद्दा बन जाता है। जेल में प्रेम संबंध और उनका विवाह समाज में बहस और आलोचना का विषय बनते हैं। अलवर जिले के बड़ौदा मेव कस्बे में हुई यह शादी न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों का यह प्रेम और विवाह समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक उदाहरण बन सकता है या नहीं। इसके साथ ही यह घटना कानून, न्याय, समाज और मानवीय भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को भी सामने लाती है।

प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की यह कहानी इस बात का सबूत है कि अपराध की दुनिया में भी मानव संवेदनाएं और प्रेम अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन इसके कानूनी और सामाजिक परिणाम अनिवार्य रूप से गंभीर हैं।

ईयू जीएसपी अधिसूचना और भारतीय निर्यात पर इसके असर को लेकर स्पष्टीकरण

(जीएनएस)। नई दिल्ली; 23 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) यूरोपीय संघ के उस अधिसूचना के बारे में हाल की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देना चाहता है जिसमें भारत से कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी पर जीएसपी लाभ वापस लेने की अवधि बढ़ाई गई है।

हालांकि यह बताया गया है कि ईयू को भारत के निर्यात वैल्यू का लगभग 87 प्रतिशत ईयू अधिसूचना में बताई गई बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी के तहत आता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि 87 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ज़्यादा ड्यूटी लगेगी।

सबसे पहले, ईयू अधिसूचना में बड़े प्रोडक्ट ग्रुपिंग का ज़िक्र है, जिसके तहतः (i) कई प्रोडक्ट पर पहले से ही ईयू के एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) सिस्टम के तहत ज़ीरो कस्टम ड्यूटी लगती है, और इसलिए जीएसपी प्राथमिकताओं को वापस लेने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है; और (ii) इन बड़ी कैटेगरी के तहत कई खास टैरिफ लाइनें लागू नियमों और शर्तों के अधीन ईयू जीएसपी लाभों के लिए योग्य बनी हुई हैं।

दूसरा, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि जीएसपी लाभों को वापस लेना कोई नया कदम नहीं है। मौजूदा अधिसूचना सिर्फ़ प्राथमिकताओं के पहले के निलंबन की वैधता को बढ़ाता है, जो पिछले कुछ सालों से इन प्रोडक्ट ग्रुप के लिए लागू है। इस विस्तार के ज़रिए जीएसपी वापसी के तहत कोई भी अतिरिक्त प्रोडक्ट नए सिरे से नहीं लाए गए हैं।

इसलिए, भारतीय निर्यात पर अधिसूचना का व्यावहारिक असर सीमित है, और निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी के स्तर के बजाय टैरिफ-लाइन (एचएस कोड) स्तर पर अपनी स्थिति का आकलन करें।

27 जनवरी को असारवा रेलवे क्रॉसिंग नं. 01 बंद

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद व असारवा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 01 (असारवा रेलवे क्रॉसिंग) पर वाई कनेक्टिविटी के अंतर्गत नये ट्रेक का कार्य प्रस्तावित है इसके चलते यह रेलवे क्रॉसिंग 27 जनवरी को सुबह 8.00 बजे से 28 जनवरी 2026 को सुबह 8.00 बजे तक आवागमन के लिये बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान रोड यूजर्स चामुंडा ब्रिज का उपयोग कर सकते है।

सोना वायदा में 437 रुपये, चांदी वायदा में 6912 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 129 रुपये की वृद्धि

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 260360.05 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 82193.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 178147.99 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 43784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4185.07 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 72302.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 158889 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159226 रुपये और नीचे में 155248 रुपये पर पहुंचकर, 156341 रुपये के पिछले बंद के सामने 437 रुपये या 0.28 फीसदी की तेजी के संग 156778 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 1480 रुपये या 1.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 131448 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 245 रुपये या 1.51 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16492 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 158143 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159527 रुपये और नीचे में 155631 रुपये पर पहुंचकर, 780 रुपये या 0.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 157313 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 159887 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160000 रुपये और नीचे में 156322 रुपये पर पहुंचकर, 156818 रुपये के पिछले बंद के सामने 1332 रुपये या 0.85 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 333333 रुपये के भाव पर खूलकर, 339927 रुपये के दिन के उच्च और 327502 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 327289 रुपये के पिछले बंद के सामने 6912 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 334201 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6649 रुपये या 2 फीसदी की तेजी के संग 339042 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6789 रुपये या 2.04 फीसदी की मजबूती के साथ 339265 रुपये प्रति किलो बोला गया।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 82193 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 178147 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 72302 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 43784 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 4420.48 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 8.5 रुपये या 0.67 फीसदी की तेजी के संग 1281.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 1.35 रुपये या 0.43 फीसदी की तेजी के संग 313.3 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.1 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 316.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 190.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5451.05 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5495 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5574 रुपये और नीचे में 5482 रुपये पर पहुंचकर, 129 रुपये या 2.37 फीसदी बढ़कर 5569 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 126 रुपये या 2.32 फीसदी की मजबूती के साथ 5568 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 475 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 475 रुपये और नीचे में 421.7 रुपये पर पहुंचकर, 463.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.7 रुपये या 1.45 फीसदी घटकर 456.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 8.5 रुपये या 1.83 फीसदी घटकर 456.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 960 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.3 रुपये या 0.23 फीसदी लुढ़ककर 982 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 44003.93 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 28298.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3780.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 266.65 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 31.91 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 323.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 613.01 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4826.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 18.02 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20317 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 97256 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 34664 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 511942 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63757 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14354 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38409 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 105565 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17420 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23064 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 43500 पॉइंट पर खूलकर, 44200 के उच्च और 43300 के नीचले स्तर को छूकर, 795 पॉइंट बढ़कर 43784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 74.4 रुपये की बढ़त के साथ 278.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 28.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 157000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1.5 रुपये की गिरावट के साथ 2487.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2564 रुपये की बढ़त के साथ 12105.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.96 रुपये की बढ़त के साथ 54.77 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.3 रुपये की बढ़त के साथ 9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 48.8 रुपये की गिरावट के साथ 220.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे की नरमी के साथ 22 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 177 रुपये की गिरावट के साथ 1725.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4000 रुपये की गिरावट के साथ 7936 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.16 रुपये की गिरावट के साथ 42.04 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 83 पैसे की नरमी के साथ 3 रुपये हुआ।

राजकोट का अटल सरोवर बना आकर्षण का केंद्र अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने की सैर

राजकोट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में राजकोट को मिला है अटल सरोवर

पर्यावरण को ध्यान में रखकर 75 एकड़ में 'रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल' के सिद्धांतों पर हुआ है अटल सरोवर का निर्माण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने पिछले ढाई दशक में शहरीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2005 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाकर योजनाबद्ध शहरी विकास की नींव रखी थी। इन 20 वर्षों की विकास यात्रा का जश्न मनाते हुए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया। सुव्यवस्थित शहरी नियोजन, दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से गुजरात के शहर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। विशेषकर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे प्रमुख शहरों में बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राजकोट शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया अटल सरोवर इसका शानदार उदाहरण है।

75 एकड़ में 'रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल' के सिद्धांत पर हुआ है अटल सरोवर का निर्माण

राजकोट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 930 एकड़ के ग्रीनफील्ड क्षेत्र में तीन तालाबों का आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य वर्षा जल संचयन के लिए स्टॉर्म वाटर नेटवर्क के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इनमें से अटल सरोवर (लेक-1) को 75 एकड़ क्षेत्रफल में 'रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल' के '3 आर' सिद्धांतों पर विकसित किया गया है। अटल सरोवर के अंतर्गत 25 एकड़ में 477 मिलियन लीटर जल भंडारण क्षमता विकसित की गई है, जबकि शेष 50 एकड़ में लैंडस्केप (हरित क्षेत्र), मनोरंजन एवं जनसुविधाओं का विकास किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 136 करोड़ रुपए है, जिसमें 15 वर्षों तक का संचालन और रखरखाव व्यय भी शामिल है। मानसून के दौरान सरोवर में प्राकृतिक रूप से बरसाती पानी का संग्रहण होता है, जबकि गर्मी की सीजन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत टरशरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी) से रिसाइकिल पानी की आपूर्ति की जाती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में अटल सरोवर के जरिए पहली बार किसी प्रोजेक्ट के विकास में '3 आर' सिद्धांतों को लागू किया गया है।

अटल सरोवर के मुख्य आकर्षण

अटल सरोवर आने वाले आगंतुकों के लिए उद्यान, विशेषकर बाल उद्यान, फेरिस व्हील, बोटिंक सुविधा और टॉय ट्रेन जैसे आकर्षण हैं। नागरिकों के लिए पैदल पथ, साइकिल ट्रैक और 600 चार पहिया और 1000 दोपहिया वाहनों के लिए सोलर पैनल युक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दो एम्फीथिएटर, प्रवेश प्लाजा, पार्टी प्लॉट, 16 दुकानों वाला ओपन फूड कोर्ट, 12 दुकानों वाला क्लोज्ड फूड कोर्ट तथा आरएमसी के स्वामित्व वाले ग्रामहाट के अंतर्गत 42 दुकानें विकसित की गई हैं, जो राजस्व सृजन सुनिश्चित करती हैं। इतना ही नहीं, एक विशाल ध्वज स्तंभ, लाइट एंड साउंड शो सहित अन्य सुविधाएं अटल सरोवर को राजकोट एवं सौराष्ट्र क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण बनाएंगी।

अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने की अटल सरोवर की सैर

अटल सरोवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मार्च, 2024 में किया था। 1 मई, 2024 को गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर इस सरोवर को आम जनता के लिए खोला दिया गया। तब से अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने अटल सरोवर की सैर की है। अटल सरोवर की विशेषता यह है कि इसे आधुनिक मनोरंजन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन की फियो के यूनियन बजट 2026 की सिफारिशें

(जीएनएस)। **1.कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के मुद्दों पर ध्यान दें**

प्रस्तावः बजट में इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जहाँ कच्चे माल, कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी तैयार माल की तुलना में ज़्यादा होती है। फियो निर्यात पर ध्यान देने वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य इनपुट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज़ करने और कम करने की सिफारिश करता है ताकि इनपुट कॉस्ट तैयार प्रोडक्ट ड्यूटी के साथ अलाइन हो जाए।

औचित्यः एक इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भारतीय निर्यातकों की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफी कम कर देता है और जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज़रिए कम वर्किंग कैपिटल को लॉक कर देता है। कई सेक्टर्स को इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक यार्न और फाइबर पर तैयार फैब्रिक और गारमेंट्स की तुलना में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल वैल्यू चेन पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह, पीसीबी, कनेक्टर और सब-असेंबली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इम्पोर्टेड तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा नहीं मिलता। केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर में, बेसिक रॉ केमिकल और पॉलीमर पर अक्सर डाउनस्ट्रीम फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। लेदर और फुटवियर सेक्टर को भी इम्पोर्टेड फिनिश्ड फुटवियर के मुकाबले कंपोनेंट और एक्सेसरीज़ जैसे इनपुट पर ज़्यादा ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। रॉ मटीरियल पर ड्यूटी कम करके या रीस्ट्रक्चर करके इन गड़बड़ियों को ठीक करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, वर्किंग कैपिटल का दबाव कम होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होगी।

2.शिपिंग सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में इंडियन ग्लोबल-स्केल शिपिंग लाइनों के डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड पॉलिसी और फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, जिसमें लॉन्ग-टर्म फाइनेंस तक एक्सेस, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सपोर्टिव रेगुलेटरी उपाय शामिल हैं।

औचित्यः फॉरेन शिपिंग लाइनों पर इंडिया की भारी डिपेंडेंस एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ्रेट कॉस्ट, सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रेट में उतार-चढ़ाव का सामना कराती है। मज़बूत इंडियन शिपिंग कैरियर की कमी इंडिया की ट्रेड रेजिलिएंस और बारगेनिंग पावर को कमज़ोर करती है। इंडियन शिपिंग लाइनों को डेवलप करने से फ्रेट कॉस्ट काफी कम हो सकती है, रिलायबिलिटी बेहतर हो सकती है और लॉजिस्टिक्स पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पक्का हो सकता है। अनुमान है कि भारत एक मज़बूत घरेलू शिपिंग इकोसिस्टम के ज़रिए माल ढुलाई में सालाना USD 40-50 बिलियन बचा सकता है। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत के लंबे समय के ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा।

3.फिस्कल और टैक्स इंसेंटिव – अनुसंधान एवं विकास सपोर्ट

प्रस्तावः फियो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35(2एबी) के तहत इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए 200-250% वेटेड टैक्स डिडक्शन को फिर से शुरू करने और कंपनियों से आगे बढ़कर एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप, खासकर एमएसएमई को भी शामिल करने की सिफारिश करता है।

औचित्यः पहले, 200% वेटेड डिडक्शन ने अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया है। इसके धीरे-धीरे कम होने से भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम ऐसे समय में कमज़ोर हुआ है जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन तेज़ हो रहा है। अभी, 38 ओईसीडी देशों में से 35 अनुसंधान एवं विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव देते हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। 200% डिडक्शन देने से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़े इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। नॉन-कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को एलिजिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और अक्सर बिना फिस्कल सपोर्ट के अनुसंधान एवं विकास में इन्वेस्ट करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी की कमी होती है।

4.ओवरसीज़ मार्केटिंग के लिए टैक्स सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में ओवरसीज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर, बायर मीट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर होने वाले खर्च के लिए 200% टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिससे खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को फायदा हो।

औचित्यः कॉम्पिटिशन करने वाले एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तुलना में ग्लोबल मार्केट में भारत के सामान और सर्विस अभी भी ठीक से नहीं दिखाए जाते हैं। ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर्स को—खासकर एमएसएमई को—नए मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने से रोकती है। बढ़ी हुई टैक्स डिडक्शन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देगी और साथ ही असरदार फिस्कल बोझ भी कम करेगी। इस कदम से ब्रांड की विज़िबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लंबे समय तक ट्रेड सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी।

5.नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स का विस्तार

प्रस्तावः फियो प्रस्ताव करता है कि नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सेक्शन 115 बीएबी के तहत 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स दर को 31 मार्च, 2024 की पिछली कट-ऑफ तारीख से कम से कम पांच साल और बढ़ाया जाए।

औचित्यः ऐसे समय में जब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग निवेश और सप्लाई-चेन रीलोकेशन के लिए ज़ोरदार मुकाबला कर रहा है, इस रियायती टैक्स व्यवस्था के खत्म होने से मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत का आकर्षण कम हो जाता है। इस योजना को बढ़ाने से पॉलिसी में निश्चितता आएगी, निवेश पर टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर होगा, और सरकार के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट-आधारित विकास के उद्देश्यों को मज़बूती मिलेगी। यह उपाय एक सुसंगत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय ढांचा बनाकर, नए पूंजी निवेश, रोज़गार सृजन और भारत में उच्च मूल्य-वर्धित मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करके पीएलआई योजनाओं का भी पूरक होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर पुराने पिट लाइन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

निरस्त होने वाली ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस 28 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 27 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1.8 फरवरी, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बलरामपुर एवं गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

2.10 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22922 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा गोरखपुर एवं बलरामपुर के बीच निरस्त रहेगी।

अस्थायी तौर पर विस्तारित ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 19409 साबरमती–गोरखपुर एक्सप्रेस जिसे पहले 14 फरवरी, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया था, अब इसे 28 मार्च, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया है।

2.ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर–साबरमती एक्सप्रेस जिसे पहले 16 फरवरी, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जा रहा था, अब इसे 29 मार्च, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जाएगा।

"गुजरात राज्य खेल महाकुंभ 4.0 - तैराकी प्रतियोगिता" में अहमदाबाद रेल मण्डल के तीन रेल कर्मचारियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

(जीएनएस)। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा "गुजरात राज्य खेल महाकुंभ 4.0" के अंतर्गत 18 से 19 जनवरी 2026 को वडोदरा में राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्यभर के विभिन्न जिलों एवं संस्थानों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

इस प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में कार्यरत तीन रेल कर्मचारियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की।

कार्यालय अधीक्षक श्री जयदेव जयेंदु शुक्ला ने 50 मीटर फ्री स्टाइल (28.81 सेकंड), 100 मीटर फ्री स्टाइल (1 मिनट 06 सेकंड) तथा 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (37.78 सेकंड) स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता दर्ज की।

सीनियर क्लर्क श्री देवांश महेशकुमार परमार ने 400 मीटर फ्री स्टाइल (4 मिनट 17 सेकंड), 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (58.70 सेकंड) तथा 100 मीटर फ्री स्टाइल (53.29 सेकंड) स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। इसके अतिरिक्त 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले एवं 4x100 मीटर मेडले रिले स्पर्धाओं में रजत पदक भी प्राप्त किए।

कार्यालय अधीक्षक श्री सुमित गवहाणे ने 50 मीटर बटरफ्लाई (32.10 सेकंड) स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 100 मीटर फ्री स्टाइल (1 मिनट 09 सेकंड) और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (36.26 सेकंड) स्पर्धाओं में रजत पदक प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे,अहमदाबाद मण्डल के इन तीनों कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिभा एवं खेल के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अहम संवेदनशील निर्णय

गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की विभिन्न आवास योजनाओं में दंडनीय ब्याज माफी

गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजनाओं में दंडनीय ब्याज माफी के लिए वन टाइम राहत योजना

6 महीने की समय सीमा में आवास की किस्त की मूल राशि पूरी तरह भरने वालों का दंडनीय ब्याज माफ किया जाएगा

9 हजार से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को कुल 154 करोड़ रुपए की दंडनीय ब्याज राहत मिलेगी

मूल राशि पूरी तरह चुका देने वाले लाभार्थियों को मालिकाना हक मिलेगा और वे स्वयं मकान मालिक बनेंगे.

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णयानुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजना के वे लाभार्थी; जो मूल राशि पूरी तरह चुकाने के लिए सहमत हैं, लेकिन मासिक दो प्रतिशत दंडनीय ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसे लाभार्थियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आवास योजना के वे लाभार्थी जो 6 महीनों में अपनी बकाया मूल राशि पूरी तरह चुका देंगे; उन्हें वन टाइम ब्याज माफी योजना के अंतर्गत 2 प्रतिशत दंडनीय ब्याज की वसूली से मुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय से लगभग 9,029 ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा और उन्हें कुल लगभग 154 करोड़ रुपए की बड़ी दंडनीय

राशि की राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के इन परिवारों को उनके नाम पर मकान के मालिकाना हक मिलने से वे वास्तविक अर्थों में अपने स्वयं के मकान के धारक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार साकार कर सकेंगे।

पश्चिम रेलवे का रविवार, 25 जनवरी 2026 को अंधेरी एवं गोरेगांव तथा माहिम एवं अंधेरी स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रैक, सिगनलिंग एवं ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव कार्य हेतु रविवार, 25 जनवरी 2026 को जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक हार्बर लाइन पर अंधेरी एवं गोरेगांव के बीच 10.00 बजे से 15.00 बजे तक तथा माहिम–अंधेरी के बीच 11.00 बजे से 16.00 बजे तक रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मध्य रेल की सभी छत्रपति महाराज टर्मिनस–बांद्रा–छत्रपति महाराज टर्मिनस एवं छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल–गोरेगांव–छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल हार्बर लोकल सेवाएं निरस्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट एवं गोरेगांव स्टेशनों के बीच कुछ स्लो लोकल सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था का कृपया ध्यान में रखकर यात्रा करें।

गल्फूड 2026 में भारत पेश करेगा अपनी कृषि और खाद्य उद्योग की ताकत, पहली बार पार्टनर देश की भूमिका में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक खाद्य और कृषि व्यापार के मंच पर भारत इस बार अपनी व्यापक ताकत और आधुनिक क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। दुबई में 26 जनवरी से शुरू होने वाले 'गल्फूड 2026' में भारत 161 प्रदर्शकों के माध्यम से अपने एग्री-फूड इकोसिस्टम का भव्य प्रदर्शन करेगा। खास बात यह है कि इस आयोजन में भारत पहली बार पार्टनर देश के रूप में भाग ले रहा है, जो भारतीय कृषि, खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण उद्योग की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा। यह मंच देश की निर्यात क्षमता को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने दिखाने और भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ाने का भी अवसर है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष भारत की भागीदारी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के नेतृत्व में होगी। मंत्रालय का मानना है कि गल्फूड 2026 में सक्रिय सहभागिता से भारत न केवल एक भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और निर्यात में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण देश भी साबित होगा। इस मंच के माध्यम से भारतीय कृषि-खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, विविधता और मजबूत सप्लाई चेन को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा।

इस आयोजन में देश के 25 राज्यों से आए एग्जिबिटर्स हिस्सा लेंगे, जो कृषि-खाद्य उत्पादों से लेकर एग्री-टेक और नवाचार समाधानों तक की पूरी झलक पेश करेंगे। भारत की उपस्थिति का मुख्य आकर्षण 'भारती

पवेलियन' होगा, जिसमें चुने हुए स्टार्टअप्स और अग्रणी कंपनियां अपने नवाचार और तकनीकी समाधान प्रदर्शित करेंगी। यह पवेलियन भारतीय कृषि और खाद्य उद्योग की विविधताओं को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख केंद्र होगा।

एपीडा द्वारा स्थापित भारती पवेलियन में आठ उच्च क्षमता वाले भारतीय स्टार्टअप्स को स्थान दिया गया है, जिनका चयन पूरे देश से प्राप्त सैकड़ों आवेदनों में से किया गया। ये स्टार्टअप्स मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद, नवीन तकनीक और वैश्विक बाजार के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करेंगे। उनका उद्देश्य भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की संभावनाओं को बढ़ावा देना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि गल्फूड 2026 में भारत की यह भागीदारी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि-खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ाने, निर्यात के नए अवसर खोलने और भारतीय किसानों और स्टार्टअप्स की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। भारत की यह उपस्थिति एक अग्रणी कृषि और खाद्य निर्यातक देश के रूप में उसकी सुदृढ़ छवि को और मजबूती प्रदान करेगी और विश्व खाद्य सुरक्षा में उसके योगदान को भी उजागर करेगी।

गल्फूड 2026 में भारत की मजबूत उपस्थिति केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के किसानों, कृषि प्रसंस्करण उद्यमों और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने और उनकी प्रतिभा, नवाचार और उत्पादकता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का बड़ा अवसर भी है। इससे भारत के कृषि-खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तकनीकी सशक्तिकरण और निर्यात क्षमता को नए आयाम मिलेंगे।

इस आयोजन में भारत की भागीदारी यह संदेश भी देगी कि देश न केवल उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और तकनीकी नवाचार के माध्यम से विश्व खाद्य आपूर्ति और कृषि व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारतीय एग्री-फूड प्रदर्शक, स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तक एक मंच पर अपनी ताकत और विविधता प्रदर्शित करते हुए दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब वैश्विक खाद्य और कृषि व्यापार का एक प्रमुख और भरोसेमंद भागीदार बन चुका है।